उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–1
संख्या–2057/9–1–2022–77टी.ए./20
लखनऊ : दिनांक 22-जुलाई, 2022

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा(1) की अपेक्षानुसार नगर पंचायत तरबगंज, जिला गोण्डा के गठन करने हेतु नीचे अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की अधिसूचना जारी करने हेतु आपत्तियॉ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से अधिसूचना संख्या–2458/9–1–2020–77टी.ए./20, दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 को जारी करके तद्दिनांक को गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और चूँकि, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण शासनादेश संख्या–1544/9–1–2022–77टी.ए./20, दिनांक 20 जून, 2022 द्वारा कर दिया गया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उप धारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करती हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमायें नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, भारत का संविधान के भाग नौ–क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत तरबगंज, जिला गोण्डा के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची–1
नगर पंचायत तरबगंज, जिला–गोण्डा का प्रादेशिक क्षेत्र

क्र.संख्या	ग्राम का नाम	दिशा	गाटा संख्यायें
1.	रामापुर	मध्य	1 से 705
2.	कटहा	दक्षिण–पश्चिम	1 से 1529
3.	पूरेलीला	दक्षिण–पश्चिम	1 से 306
4.	रेतादल सिंह	पूर्व	1 से 1055
5.	कौंचिहा	दक्षिण	1 से 670
6.	ढोढेपुर	पश्चिम	1 से 1836
7.	सेमरा	उत्तर–पश्चिम	1 से 759
8.	जमालखानी	उत्तर–पश्चिम	1 से 463

<u>अनुसूची–2</u>

नगर पंचायत तरबगंज, जिला–गोण्डा में सम्मिलित होने वाले क्षेत्र–

क.सं.	ग्राम सभा का नाम	ग्राम सभा में सम्मिलित क्षेत्र	सम्मिलित क्षेत्र
1.	रामापुर	रामापुर	सम्पूर्ण क्षेत्र
2.	ढोढेपुर	ढोढेपुर	सम्पूर्ण क्षेत्र
3.	सेमरा	सेमरा, जमालखानी	सम्पूर्ण क्षेत्र
4.	कटहा,	कटहा, पूरेलीला	सम्पूर्ण क्षेत्र
5.	रेतादल सिंह	रेतादल सिंह, कौंचिहा	सम्पूर्ण क्षेत्र

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव–</u>

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना का एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक– 22 जुलाई, 2022 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50–50प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव–</u>

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
(2) जिलाधिकारी, गोण्डा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
(3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
(5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
(6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikas Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.- 2057/9-1-2022-77TA/20 dated 22 July, 2022.

NOTIFICATION

No.-2057/9-1-2022-77TA/20
Lucknow; Dated: 22 July, 2022

WHEREAS Notification no-2458/IX-1-2020-77T.A./20 dated December 22, 2020 was issued and published in Gazette with a view to invite objections and suggestions for issuance of notification for specifying the area mentioned in the Schedules below as transitional area for constituting Nagar Panchayat Tarabganj in District Gonda as required under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P.Act no-II of 1916);

AND WHEREAS objections and suggestions received in pursuance of said notification were disposed of vide Government order no-1544/9-1-2022-77T.A./20 dated June 20, 2022;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution read with sub section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P.Act no-II of 1916), the Governor having regard to the population of the area, the density of population therein, the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance is pleased to specify that the local area the limits of which are specified in the Schedules below shall be a transitional area for the purpose of Part IX-A of the Constitution of India and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Tarabganj in District Gonda.

SCHEDULE-1

Territorial area of Nagar Panchayat Tarabganj in District Gonda

S.N.	Name of Village	Direction	Gata Nos.
1.	Ramapur	Crentre	1 to 1705
2.	Kataha	South-West	1 to 1529
3.	Pureleela	South-West	1 to 306
4.	Retadal Singh	East	1 to 1055
5.	Kaunchiha	South	1 to 670
6.	Dhodhepur	West	1 to 1836
7.	Semara	North-West	1 to 759
8.	Jamalkhani	North-West	1 to 463

SCHEDULE-2

Area of Nagar Panchayat Tarabganj in District Gonda

S.No.	Name of Gram Sabha	Included Village of Gram Sabha	Area Included
1	Ramapur	Ramapur	Total Area
2	Dhodhepur	Dhodhepur	Total Area
3	Semara	Semara, Jamalkhani	Total Area
4	Kataha	Kataha, Pureleela	Total Area
5	Retadal Singh	Retadal Singh, Kaunchiha	Total Area

(Amrit Abhijat)
Principal Secretary